ई-सिगरेट

प्रिलिम्स के लिये:

ई-सिगरेट, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), तंबाकू, निकोटीन का व्यसन, कैंसरजन्य पदार्थ

मेन्स के लिये:

ई-सिगरेट, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप तथा उनकी रूपरेखा और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा सरकारों से ई-सिगरेट **को तंबाकू के समान मानने तथा इसके सभी स्वादों/फ्लेवर्स पर प्रतिबंध लगाने** का आग्रह किया है, जिससे ई-सिगरेट को धूम्रपान के विकल्पों के रूप में देखने वाली सिगरेट कंपनियों के खतरे की स्थिति में हैं।

- कुछ शोधकर्त्ता, प्रचारक तथा सरकारें ई-सिगरेट अथवा वेप्स को **धूम्रपान से होने वाली मृत्यु एवं बीमारी** को कम करने में एक सार्थक विकल्प वाले उपकरण के रूप में देखती हैं किंतु WHO के अनुसार इनके इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिये "तत्काल उपाय" की आवश्यकता है।

ई-सिगरेट क्या हैं?

- ई-सिगरेट **बैटरी चालित उपकरण** हैं जो एक तरल को एयरोसोल में गर्म करके संचालित होते हैं जिसे उपयोगकर्त्ता श्वसन के माध्यम से अंदर खींचता है और बाहर छोड़ता है।
- ई-सिगरेट तरल में आमतौर पर **निकोटीन, प्रोपलीन ग्लाइकोल, ग्लिसरीन,** फ्लेवर तथा अन्य रसायन शामिल होते हैं।
- उपयोग में आने वाली ई-सिगरेट के विभिन्न प्रकार हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ENDS) एवं कभी-कभी इलेक्ट्रॉनिक नॉन-निकोटिन डिलीवरी सिस्टम (ENNDS) के रूप में भी जाना जाता है।

ई-सिगरेट के संबंध में WHO द्वारा क्या चिंताएँ व्यक्त की गई हैं?

- **धूम्रपान समाप्ति के लिये अप्रभावी:**
  - ई-सिगरेट जैसे उपभोक्ता उत्पाद जनसंख्या स्तर पर व्यसनी को **तंबाकू का उपयोग रोकने में मदद करने में सफल साबित नहीं** हुए हैं। इसके स्थान पर जनसंख्या के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव के चिंताजनक साक्ष्य सामने आए हैं।
  - ई-सिगरेट को **बाज़ार में लाने की अनुमति** दी गई है तथा युवाओं के लिये इसका व्यापक विपणन किया गया है।
    - चौंतीस देशों ने ई-सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, 88 देशों में ई-सिगरेट खरीदने की कोई न्यूनतम आयु नहीं है एवं 74 देशों में इन हानिकारक उत्पादों के लिये कोई नियम नहीं है।
- **युवाओं पर प्रभाव:**
  - अल्प आयु में ही **बच्चों एवं युवाओं की ई-सिगरेट के उपयोग के लिये प्रलोभन तथा संभावित जाल,** जिससे संभावित रूप से वे निकोटीन के व्यसन से ग्रसित हो सकते हैं।
  - **देशों में इसकी रोकथाम हेतु अपर्याप्त नियमों** सहित ई-सिगरेट का व्यापक विपणन इस समस्या में योगदान देता है।
- **युवाओं में बढ़ता उपयोग:**
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सभी क्षेत्रों में **13-15 वर्ष के बच्चे वयस्कों की तुलना में अधिक दर पर ई-सिगरेट** का उपयोग कर रहे हैं।
  - कनाडा में 16-19 वर्ष के बच्चों के बीच ई-सिगरेट के उपयोग की दर वर्ष 2017-2022 के बीच दोगुनी हो गई है और इंग्लैंड (यूनाइटेड किंगडम) में युवा उपयोगकर्त्ताओं की संख्या पिछले तीन वर्षों में तीन गुना हो गई है।
- **स्वास्थ्य को खतरा:**
  - हालाँकि ई-सिगरेट के दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों को पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन ये उपकरण विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जिनमें से कुछ कैंसर का कारण बनते हैं और **हृदय तथा फेफड़ों के विकारों के खतरे** को बढ़ाते हैं।

- ई-सिगरेट का उपयोग **मस्तिष्क के विकास को भी प्रभावित कर सकता है, युवाओं में सीखने के विकार पैदा कर** सकता है और गर्भवती महिलाओं में भ्रूण के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
- **निकोटीन की लत और नशे की प्रकृति:**
  - निकोटीन युक्त ई-सिगरेट को अत्यधिक नशे की लत माना जाता है, जो उपयोगकर्त्ताओं और दर्शकों दोनों के लिये स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। ई-सिगरेट में निकोटीन की लत की प्रकृति, खासकर युवा उपयोगकर्त्ताओं के बीच, निकोटीन की लत का मुकाबला करने के बारे में चिंता पैदा करती है।

नोट: भारत में ई-सिगरेट और इसी तरह के उपकरणों का कब्ज़ा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम (PECA) 2019 का उल्लंघन है।

ई-सिगरेट के पक्ष में क्या तर्क हैं?

- **नुकसान में कमी:**
  - समर्थकों का तर्क है कि ई-सिगरेट पारंपरिक तंबाकू उत्पादों की तुलना में नुकसान कम करने की रणनीति प्रदान करती है।
  - उनमें निकोटीन होता है **लेकिन पारंपरिक सिगरेट में मौजूद कई हानिकारक कार्सिनोजेन्स की** कमी होती है। परिणामस्वरूप, उन्हें अक्सर वयस्क धूम्रपान करने वालों के लिये एक सुरक्षित विकल्प के रूप में देखा जाता है जो निकोटीन का उपयोग पूरी तरह से छोड़ने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं।
- **आर्थिक राजस्व:**
  - एक आर्थिक तर्क यह सुझाव दे रहा है कि ई-सिगरेट को वैध बनाने और **विनियमित करने से सरकारों के लिये पर्याप्त कर राजस्व उत्पन्न हो** सकता है। ई-सिगरेट पर कर लगाने से, अधिकारियों को राजस्व से लाभ हो सकता है, साथ ही उनके उपयोग पर नियंत्रण तथा निगरानी भी हो सकती है।
- **उपभोक्ता की पसंद:**
  - समर्थक उपभोक्ता की पसंद और विकल्पों तक पहुँच के महत्त्व पर तर्क देते हैं। उनका मानना है कि यदि वयस्क धूम्रपान करने वालों को पारंपरिक धूम्रपान बंद करने के तरीके अप्रभावी लगते हैं तो उनके पास **कम हानिकारक निकोटीन वितरण प्रणाली चुनने का विकल्प** होना चाहिये।

निकोटीन क्या है?

- **निकोटीन** एक पादप एल्कलॉइड है जिसमें नाइट्रोजन होता है, जो तंबाकू के पौधे सहित कई प्रकार के पौधों में पाया जाता है और इसे कृत्रिम रूप से भी उत्पादित किया जा सकता है।
- निकोटीन शामक/दर्दनिवारक और उत्तेजक दोनों है।
- ई-सिगरेट में निकोटीन का उपयोग प्रत्यक्ष पदार्थ के रूप में किया जाता है और इसकी मात्रा 36 mg/mL तक होती है। हालाँकि रेगुलर सिगरेट में भी निकोटीन होता है, लेकिन यह 1.2 से 1.4 mg/mL के बीच होता है।
- कर्नाटक ने निकोटीन को क्लास A ज़हर के रूप में अधिसूचित किया है।

तंबाकू उपभोग से संबंधित सरकारी पहल क्या हैं?

- राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम
- सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण का विनियमन) संशोधन नियम, 2023।
- राष्ट्रीय तंबाकू क्विटलाइन सेवाएँ (NTQLS)
- **भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 में सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (NCCD) में 16% की वृद्धि की घोषणा की।**
- भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्ट्रीम की गई सामग्री के दौरान तंबाकू से संबंधित स्वास्थ्य चेतावनियों को प्रदर्शित करने के लिये **ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफार्मों** की आवश्यकता वाले नए नियमों की घोषणा की है।

आगे की राह

- राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, **ई-सिगरेट के सेवन को रोकने**, निकोटीन की लत का मुकाबला करने और तंबाकू नियंत्रण के लिये एक व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की दिशा में तत्काल उपायों की आवश्यकता है।
- अधिवक्ता सिगरेट और शराब जैसी अन्य "सिन गुड्स" की तरह ई-सिगरेट को भी विनियमित और कर लगाने का सुझाव देते हैं। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य धूम्रपान करने वालों के लिये संभावित रूप से हानिकारक विकल्प तक कम पहुँच की अनुमति देते हुए इनके अत्यधिक उपयोग को हतोत्साहित करना है।

अपशष्टि प्रबंधन पहल

प्रलिम्सि के लयि:

विस्तारति उत्पादक उत्तरदायतिव, प्लास्टकि पैकेजगि, **ई-अपशष्टि**, बैटरी अपशष्टि, जैव-चकित्सिा अपशष्टि, **स्वच्छ भारत मशिन**, जैव-उपचार, अपशष्टि प्रबंधन नयिम

मेन्स के लयि:

अपशष्टि प्रबंधन पहल और नयिम, सरकारी नीतयिाँ और हस्तक्षेप

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

राज्यसभा में हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परविर्तन मंत्रालय ने देश में **अपशष्टि प्रबंधन** से नपिटने के लयि उठाए गए महत्त्वपूर्ण कदमों पर प्रकाश डाला।

अपशष्टि प्रबंधन से संबंधति प्रमुख पहल क्या हैं?

- **विस्तारति उत्पादक उत्तरदायत्वि (EPR) तंत्र:**
  - EPR अपशष्टि प्रबंधन में एक नीतगित दृष्टकिोण है जो **उत्पादकों को उनके संग्रह, पुनर्चक्रण और नपिटान सहति उनके** उत्पादों के पूरे जीवनचक्र के लयि ज़म्मिेदार बनाता है।
    - इसका उद्देश्य **अपशष्टि प्रबंधन के वत्तिीय और भौतकि बोझ** को सरकारों तथा करदाताओं से उत्पादकों पर स्थानांतरति करके उत्पादों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है।
  - वर्ष 2022 में **प्लास्टकि पैकेजगि, ई-अपशष्टि,** बैटरी अपशष्टि और **प्रयुक्त तेल** के लयि बाज़ार तंत्र का उपयोग करते हुए EPR पहल लागू की गई थी। इस रणनीतकि कदम से अपशष्टि प्रबंधन क्षेत्र में वकिास को प्रोत्साहन मलिने की उम्मीद है।
- **अपशष्टि प्रसंस्करण क्षमता:**
  - शहरी क्षेत्रों में **प्रतदिनि उत्पन्न होने वाले लगभग 1.5 लाख मीट्रकि टन (MT/D) कचरे में से लगभग 76% संसाधति कयिा** जाता है।
  - वर्ष 2014 के बाद से ठोस अपशष्टि, खतरनाक अपशष्टि, जैव-चकित्सिा अपशष्टि, ई-अपशष्टि, प्लास्टकि अपशष्टि और नरि्माण तथा वध्विंस अपशष्टि सहति वभिन्नि प्रकार के अपशष्टि के प्रसंस्करण की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
  - पछिले आठ वर्षों में, वशिष रूप से स्वच्छ भारत मशिन (शहरी) के तहत, ठोस अपशष्टि प्रसंस्करण क्षमता में लगभग 1.05 लाख मीट्रकि MT/D की वृद्धि देखी गई है।
- **ठोस अपशष्टि प्रबंधन हेतु स्वच्छ भारत मशिन:**
  - योजना के दशिानरि्देशों के अनुसार, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टकि अपशष्टि प्रबंधन सहति**ठोस अपशष्टि प्रबंधन के लयि स्वच्छ भारत मशिन** के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
    - केंद्र सरकार ने **"कचरा मुक्त शहर"** बनाने के समग्र दृष्टकिोण के साथ वर्ष 2021 में**स्वच्छ भारत मशिन शहरी 2.0 (SBM-U 2.0)** लॉन्च कयिा, जसिमें यह लक्ष्य हासलि करना शामलि होगा कि सभी शहरी स्थानीय नकिाय कम से कम**3-स्टार प्रमाणति** हो जाएँगे (जैसा कि **कचरा मुक्त शहरों के लयि प्रतिस्टार रेटगि प्रोटोकॉल**) जसिमें घर-घर जाकर संग्रहण, स्रोत पृथक्करण और नगरपालकिा ठोस अपशष्टि का वैज्ञानकि प्रसंस्करण शामलि है।
    - यह मशिन स्रोत पृथक्करण, एकल-उपयोग प्लास्टकि का नपिटारा करने, नरि्माण-और-वध्विंस गतवधियिों से अपशष्टि का प्रबंधन एवं परंपरागत अपशष्टि डंप साइटों के जैव-उपचार पर केंद्रति है।
  - **स्वच्छ भारत मशिन - ग्रामीण चरण II** के तहत, पेयजल और स्वच्छता वभिाग ने राज्यों एवं केंद्र शासति प्रदेशों को परचिालन दशिानरि्देश जारी कयि हैं जनिमें **ग्रामीण स्तर पर ठोस अपशष्टि प्रबंधन गतवधियिाँ** शामलि हैं।
- **अपशष्टि प्रबंधन नयिम और दशिानरि्देश:**
  - **पर्यावरण (संरक्षण) अधनियिम, 1986** के तहत **मंत्रालय** ने पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ प्रथाओं को सुनश्चिति करने के लयि वभिन्नि अपशष्टि प्रबंधन नयिमों और दशिानरि्देशों को लागू कयिा है। इसमे शामलि है:
    - ठोस अपशष्टि प्रबंधन नयिम, 2016 **।**
    - प्लास्टकि अपशष्टि प्रबंधन नयिम, 2016।
    - जैव चकित्सिा अपशष्टि प्रबंधन नयिम, 2016।
    - नरि्माण एवं वध्विंस अपशष्टि प्रबंधन नयिम, 2016।
    - हानकिारक व अन्य अपशष्टि (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नयिम, 2016।
    - ई-अपशष्टि प्रबंधन नयिम, 2022।

- बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022।
- पर्यावरण के अनुकूल अपशिष्ट प्रबंधन पर भी दिशानिर्देश जारी किये गए हैं।
    - हानिकारक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट तथा प्लास्टिक के **उत्पाद शुल्क भुगतान सिद्धांत** के आधार पर **पर्यावरणीय क्षति/पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क** लगाने के लिये दिशानिर्देश जारी किये गए हैं।

नोट:

- **'प्रदूषक भुगतान'** सिद्धांत आम तौर पर स्वीकृत प्रथा है जिसके तहत जो लोग प्रदूषण फैलाते हैं उन्हें मानव स्वास्थ्य अथवा पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिये इसके प्रबंधन की लागत वहन करनी चाहिये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? (2019)

(a) अपशिष्ट उत्पादक को पाँच कोटियों में अपशिष्ट अलग-अलग करने होंगे।
(b) ये नियम केवल अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों, अधिसूचित नगरों तथा सभी औद्योगिक नगरों पर ही लागू होंगे।
(c) इस नियम में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिये सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपबंधित हैं।
(d) अपशिष्ट उत्पादक के लिये यह आज्ञापक होगा कि किसी एक ज़िले में उत्पादित अपशिष्ट, किसी अन्य ज़िले में न ले जाया जाए।

उत्तर: (c)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/18-12-2023/print